

Implementation of Curriculum of Teacher Education

Date 20.04.20

Page

अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम का मूल्य विधान

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की स्थापनावष 1993 में संसद में पारित अधिनियम के द्वारा की गयी थी एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित व समन्वित विकास करना एवं मानकों व मानदण्डों का निर्धारण व संरक्षण करना था। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा चार क्षेत्रीय समितियों का गठन करके उन्हें उत्तर, पूरब, पश्चिम व दक्षिण का क्षेत्र आवंटित किया गया था।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यों में सुधार से सम्बन्धित मुद्दों का परीक्षण करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष भारत के पूर्व न्यायाधीश मान्य श्री जे. एस. वर्मा थे तथा इसमें दॉ. अन्ध सदह्यो व सदस्य सचिव को सम्मिलित किया गया था। इस आयोग के गठन की अधिसूचना राजपत्र में 28 जून, 2011 को प्रकाशित हुई।

अध्यापक विचार विमर्श के उपरान्त आयोग ने अगस्त 2012 में अपना प्रतिवेदन "भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता तथा नियामक परिप्रेक्ष्य (Perspective of Teacher Education in India and Regulatory Perspective)" शीर्षक से प्रस्तुत कर दिया। इस प्रतिवेदन में सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, अध्यापकों का निरूपण व सम्परीक्षा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियामक कार्यों का सुदृढीकरण एवं महाराष्ट्र के 291 डी-एड संस्थाओं की समीक्षा के परिणामों की विस्तार से विवेचना करते हुए अनेक महत्वपूर्ण तथा सारगर्भित संस्तुतियाँ की, जिसे अंगीकृत कर रहे हैं।